ई–मेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन

सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0

सं0: ड्रग/8322/ लखनऊ दिनांक 15/08/2022

कार्यालय ज्ञाप

स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है, जिनकी उपलब्धता जनसामान्य के उपयोग के लिए आवश्यक होता है। परन्तु, कतिपय व्यक्तियों/फर्मों द्वारा निहित स्वार्थों एवं धन कमाने की लालच में स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों का दुरूपयोग नशे के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के औषधियों का दुरूपयोग प्रायः कम उम्र के बच्चों द्वारा करने के कारण उनके स्वास्थ्य एवं मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा मिलता है। जनपद स्तर पर किये जा रहे प्रवर्तन कार्यों एवं हाल ही में पकड़े गये अवैध स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों से यह स्पष्ट होता है कि कतिपय औषधि विक्रेताओं द्वारा उक्त औषधियों का अत्यधिक मात्रा में भण्डारण एवं बिक्री अवैध ढंग से किया जा रहा है, जबकि मरीजों के लिए वास्तविक खपत काफी कम है। विभिन्न स्रोतों से संकलित किये गये सूचनाओं एवं प्रवर्तन के समय अभिरक्षा में लिये गये स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों पर सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए व्यापक जनहित में विभिन्न प्रतिष्ठानों में इनके भण्डार एवं बिलिंग की अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाये।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त औषधि नियमावली, 1945 के नियम 51 एवं 52 के अंतर्गत समस्त औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित औषधियों के भण्डारण एवं बिलिंग की अधिकतम सीमा तालिका के स्तम्भ–3, 4 व 5 में अंकित विवरण के अनुसार सुनिश्चित करें–

क्र.सं.	औषधि का विवरण	विक्रेता का प्रकार	भण्डारण हेतु अधिकतम सीमा	एक दिन में किसी फर्म/व्यक्ति को की गयी बिलिंग की अधिकतम सीमा
1	2	3	4	5
1.	Codeine based cough syrup 100ml	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	500x100ml
		थोक विक्रेता	1000x100ml	100x100ml
		फुटकर विक्रेता	100x100ml	1x100ml
2.	Codeine based cough syrup 50ml	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	500x50ml
		थोक विक्रेता	1000x50ml	100x50ml
		फुटकर विक्रेता	100x50ml	1x50ml
3.	Codeine based cough syrup (Any other pack size)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	500 Bottles
		थोक विक्रेता	1000 Bottles	100 Bottles
		फुटकर विक्रेता	100 Bottles	1 Bottle
4.	Tramadol (All strength and combinations)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules
		थोक विक्रेता	10000 Capsules/Tablets/ Ampoules	200 Capsules/Tablets/ Ampoules
		फुटकर विक्रेता	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules	चिकित्सक के पर्ची के अनुसार

drug (1)

5.	Alprazolam (All strength and combinations)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	2000 Capsules/ Tablets/ Ampoules
		थोक विक्रेता	10000 Capsules/Tablets/ Ampoules	200 Capsules/ Tablets/ Ampoules
		फुटकर विक्रेता	1000 Capsules/Tablets/ Ampoules	20 Capsules/Tablets/ Ampoules
6.	Clonazepam (All strength and combinations)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules
		थोक विक्रेता	10000 Capsules/Tablets/ Ampoules	200 Capsules/Tablets/ Ampoules
		फुटकर विक्रेता	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules	20 Capsules/Tablets/ Ampoules
7.	Diazepam (All strength and combinations)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules
		थोक विक्रेता	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules	50 Capsules/Tablets
		फुटकर विक्रेता	200 Capsules/Tablets/ Ampoules	10 Capsules/Tablets/ Ampoules
8.	Nitrazepam (Capsules/ Tablets of all strength and combinations)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	2000 Capsules/Tablets
		थोक विक्रेता	2000 Capsules/Tablets	50 Capsules/Tablets
		फुटकर विक्रेता	200 Capsules/Tablets	10 Capsules/Tablets
9.	Pentazocine (All strength and combinations)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	200 Capsules/Tablets/ Ampoules
		थोक विक्रेता	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules	50 Capsules/Tablets/ Ampoules
		फुटकर विक्रेता	50 Capsules/Tablets/ Ampoules	10 Capsules/Tablets/ Ampoules
10	Buprenorphine (All strength and combinations)	कम्पनी डिपो एवं सी0 एण्ड एफ0 एजेन्ट	कोई सीमा नहीं	200 Capsules/Tablets/ Ampoules
		थोक विक्रेता	2000 Capsules/Tablets/ Ampoules	50 Capsules/Tablets/ Ampoules
		फुटकर विक्रेता	50 Capsules/Tablets/ Ampoules	10 Capsules/Tablets/ Ampoules

1. उपरोक्त आदेश सरकारी संस्थान, कैंसर अस्पताल एवं मानसिक अस्पताल पर लागू नहीं होंगे।
2. फुटकर औषधि विक्रेता द्वारा उक्त तालिका में अंकित औषधियों की बिक्री चिकित्सक के परामर्श एवं स्तम्भ–5 में अंकित मात्रा के अनुसार किया जायेगा।

3. यदि किसी औषधि विक्रेता द्वारा उपरोक्त आदेश की अवहेलना की जाती है तो औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22 (1)(डी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि कोई औषधि विक्रेता उपरोक्त तालिका में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा का भण्डारण/बिलिंग करना चाहता है तो वह विगत दो वर्ष का क्रय-विक्रय विवरण के साथ औचित्य प्रस्तुत करके अलग से छूट प्राप्त कर सकता है।

यह आदेश आयुक्त महोदया के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(ए0के0 जैन)
औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0

सं0: ड्रग/8322/2187 (1-7) तद्दिनांक,

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहायक आयुक्त(औषधि), कार्यालय मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त औषधि निरीक्षक, कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन।
7. सूचना निदेशक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विभिन्न समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

15/8/22

(ए0के0 जैन)
औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0